



राजस्थान-सरकार / बाटम्हठम्हज व त्रोज्ञा

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सर्वाई माधोपुर

क्रमांक पं.17( ) न्याय / कोरोना / 2020 / ३७५२

दिनांक:- ०८.०५.२०२०

:: आदेश अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता::

मुझे यह अवगत कराया गया है कि जिला सर्वाईमाधोपुर के उपखण्ड क्षेत्र बौली में स्थित ग्राम मरमटपुरा ग्राम पंचायत दत्तूली तहसील बौली में व्यक्ति को कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित (पॉजिटिव) पायें जाने से उपखण्ड क्षेत्र बौली के ग्राम मरमटपुरा, धोराला, पीलूखेड़ा एवं इसके एक किमी परिधि क्षेत्र में कोरोना वायरस के अत्यधिक संक्षमण की सम्भावना होकर नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शान्ति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों में मेरा समाधान हो गया है एवं मैं पूर्णतया संतुष्ट हूँ कि ऐसी परिस्थिति में प्रथम दृष्टया सर्वाई माधोपुर जिले में उपखण्ड क्षेत्र बौली में स्थित ग्राम मरमटपुरा ग्राम पंचायत दत्तूली की सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र एवं इसके एक किलोमीटर परिधि क्षेत्र यथा ग्राम धोराला व ग्राम पंचायत गोतोड़ के ग्राम पीलूखेड़ा की सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोकप्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की तहत जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं नन्मूल पहाड़िया (I.A.S) कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सर्वाईमाधोपुर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत जारी आदेश क्रमांक 2107 दिनांक 18.03.2020 व संशोधित आदेश क्रमांक 2204 दिनांक 22.03.2020 व 2447 दिनांक 31.03.2020 व 3581 दिनांक 04.05.2020 की निरन्तरता में नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने के दृष्टि से भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत सर्वाई माधोपुर जिले में उपखण्ड क्षेत्र बौली में स्थित ग्राम मरमटपुरा ग्राम पंचायत दत्तूली को केन्द्र बिन्दु मानते हुये ग्राम मरमटपुरा एवं इसकी एक किलोमीटर परिधि क्षेत्र के ग्राम धोराला एवं पीलूखेड़ा ग्राम पंचायत गोतोड़ की सम्पूर्ण आबादी क्षेत्र को (Containment Zone) घोषित कर उक्त क्षेत्रों में तत्काल प्रभाव से जीरो मोबिलिटी क्षेत्र (CURFEW) निषेधाज्ञा लागू करता हूँ एवं आदेश देता हूँ कि-

1. कोरोना वायरस के संक्षमण की गम्भीरता को देखते हुए क्षेत्र में निवासरत समस्त व्यक्ति अपने आवास से बाहर आगमन नहीं करेंगे। इस क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी क्षेत्र घोषित कर (लॉकिंग ऐरिया-जनसाधारण की सख्ती से आगमन-निर्गमन ) प्रतिबंधित किया जाता है।



2. उपरोक्त क्षेत्र में अविविक्त सेवाओं का आइकर अन्य विविध पूर्ण वाणिज्यक प्रतिष्ठान यदि रहेंगे तथा आगमन गार्डिल गविविधियां भी रहेंगी। सभा एवं समारोह इत्यादि पूर्णतया प्रतिविधि रहेंगे।
3. उपरोक्त क्षेत्र में अत्यन्त आवश्यक सेवाओं (किराना, खाद्य सामग्री, दवाईयां, दूध, सब्जी, गैस की दुकानें, जनरल टोटोर एवं फैशल पर्स) के बिंबालन के लिये विविध होम डिलीवरी के पास मान्य होंगे।
4. उपरोक्त क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति यथा पार्श्वी, वित्ती आदि औं आपूर्ति नियमित रूप से संचालित रहेंगी तथा दर्निक खाद्य वस्तुओं यथा कैल-डॉटी, किराना, दवाईयों की आपूर्ति संविधित विभाग द्वारा होम-डिलीवरी की जावेगी।
5. उक्त वर्णित जीरो मोर्डीलिटी क्षेत्र में पूर्व जारी सामग्री प्रकार की स्थीरता/अनुमति-पत्र तुरन्त प्रभाव से निररत किये जाते हैं।
6. उक्त क्षेत्र में उपखण्ड मजिरट्रेट द्वारा आवश्यक सेवाओं के लिये कफर्यू-पास आर्थि किया जावेगा। समस्त प्रकार के वाहनों का आवागमन पूर्णतया प्रतिविधि रहेंगा।
7. आवश्यक व्यवरथाएं बनाये रखने हेतु आवश्यकतानुसार गविविध अधिकारी/कर्मचारियों के आवागमन के सावन उपयोग के लिये जाने हेतु अधिकृत होंगे साथ ही उपखण्ड क्षेत्र की व्यवरथा से जुड़े वाहन, अग्निशमन वाहन, जलदाय, विद्युत, पुलिस एवं प्रशासन के वाहन, चिकित्सकीय सेवाओं से संविधित वाहन, स्थान विभाग द्वारा एवं अन्य आवश्यक सेवाओं से संविधित विशेष अनुमति पत्र प्राप्त वाहन प्रतिविधि से मुक्त रहेंगे।
8. उक्त क्षेत्र में पुलिस विभाग द्वारा निर्धारित एन्ट्री पोइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जाएगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करें और किसी भी व्यक्ति का प्रतिविधि क्षेत्र से वाहर निकलना पूर्णतया निषेध रहेगा।
9. यह प्रतिवन्ध वीमार व्यक्तियों एवं चिकित्सा संवर्धी आपात स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, परन्तु उन्हें चिकित्सकीय लाभ हेतु निकटवर्ती चिकित्सा केन्द्र से प्राथमिक उपचार लिया जावेगा।
10. उक्त क्षेत्र के समस्त धार्मिक स्थलों में आमजन, दर्शनार्थियों एवं श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिवन्ध रहेगा, किन्तु प्रवन्धन द्वारा उपखण्ड मजिरट्रेट से पास प्राप्त धार्मिक स्थल की साफ-सफाई एवं रख-रखाव हेतु अधिकतम 2 व्यक्ति को उक्त कार्य सम्पादित करने के लिए न्यूनतम अवधि हेतु जा सकते हैं, जिसकी सूचना संविधित पुलिस थाना के स्तर पर संधारित होगी।
11. कोई भी व्यक्ति या संस्था नोकल कोरोना वाइरस के संकरण के संबंध में दुष्प्रचार व तथ्यहीन समाचारों यथा Face Book, Twitter, Whats App, Youtube अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नहीं करेगा। इसके उल्लंघन पर आई.टी.एक्ट के अन्तर्गत भी विधिक कार्यवाही की जावेगी।
12. समस्त प्रकार के निजी भारी एवं हल्के गोटर लॉकल्स का आवागमन भी पूर्णतः प्रतिविधि रहेंगा। खाद्य सामग्री, दवाईयां, सब्जियां, दूध, गैस इत्यादि अतिआवश्यक



P. K. SINGH  
DRAWSH 2020/COVID-19/004/LETTER/001


सेवाओं के परिवहन हेतु लोडिंग वाहन उपखण्ड मजिस्ट्रेट से पास प्राप्त कर कर्फ्यू क्षेत्र में आ-जा सकते हैं। का उपयोग लिया जा सकेगा।

13. उपरोक्त क्षेत्र में अतिआवश्यक सेवाओं (पानी, बिजली, किराना, खाद्य रामग्री, दवाईयां, दूध, फल-सब्जी, गैस की दुकानें, जनरल स्टोर एवं पेट्रोल पम्प) की आपूर्ति रसद विभाग, जलदाय विभाग, कृषि विभाग, डेयरी विभाग, विकास अधिकारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
14. मैं उक्त क्षेत्र में सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त प्रतिवंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करेगा, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, 269, 270 एवं राजस्थान महामारी अध्यादेश 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम-2005 के सु-संगत विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत अभियोजित किया जावेगा।

चूंकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिशः तामील करवाया जाना संभव नहीं है। अतः एक पक्षीय आदेश जारी किया जाकर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु सवाईमाधोपुर जिले के सम्पूर्ण संदर्भित क्षेत्रों में मुख्य-मुख्य स्थानों पर इस आदेश को चर्चा कर ध्वनि प्रसारण यंत्रों एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कर नागरिकों को सूचित किया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2020 से दिनांक 07.06.2020 तक प्रभावशील रहेगा।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से संस्थापित किया गया है।

 ०८-०५-२०२०

( नन्मूमल पहाड़िया )

जिला मजिस्ट्रेट

सवाई माधोपुर

दिनांक:-

क्रमांक पं.17( ) न्याय/कोरोना/2020/ ३७४३-५९

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :- ०८.०५.२०२०

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, गृह एवं न्याय विभाग राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव महोदय, पीएचईडी विभाग जयपुर एवं संभाग प्रभारी भरतपुर
4. श्रीमान् संभागीय आयुक्त महोदय, भरतपुर।
5. महानिरीक्षक पुलिस रेंज भरतपुर।
6. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान जयपुर।
7. समरत जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक ..... राजस्थान।
8. जिला पुलिस अधीक्षक सवाईमाधोपुर को भेजकर लेख है कि संवंधित पुलिस अधिकारियों को उक्त आदेश की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जावें।
9. अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/ गंगापुर सिटी।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर।



11. प्रभारी अधिकारी यारखम / कन्दूल रोड कलवटे सवाईमाधोपुर।
12. उप जिला मणिस्ट्रेट / तहसीलदार  
गलारनाड़ूगर / सवाईमाधोपुर / गंगापुरसिटी / बागनवास / बौली / खण्डार / चौथका  
बरवाड़ा / वजीरपुर।
13. मुख्य चिकित्सा एवं स्थारथ्य अधिकारी सवाई माधोपुर।
14. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सवाई माधोपुर / गंगापुरसिटी
15. विकास अधिकारी पंचायत समिति, सवाईमाधोपुर / बागनवास / गंगापुर  
सिटी / बौली / चौथ का बरवाड़ा / गलारनाड़ूगर को उक्त का प्रचार प्रसार व  
नोटिस थोर्ड पर चरणा हेतु।
16. सहायक निदेशक सूचना एवं जनरामपक्ष विभाग सवाई माधोपुर को समाचार पत्रों  
के माध्यम से उक्त का व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
17. निजी सहायक जिला कलकटर / अतिठि जिला कलकटर सवाईमाधोपुर

  
 ०४-०५-२०२०  
 जिला मणिस्ट्रेट  
 सवाईमाधोपुर

